न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 299 / 2023

वादी :–

–रामनिवास पुत्र बोदूराम जाति खाती
निवासी मोड़ीकलां तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हल्का मोड़ी कलां तहसील रियांबड़ी

दावा बाबज रेकर्ड दुरूस्ती अंतर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 30/8/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि मौजा मोड़ीकलां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 134 रकबा 4.0500 हैक्टर व खसरा नंबर 135 रकबा 1.3000 हैक्टर कुल रकबा 5.3500 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा की भूमि वादी की खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है। खतौनी नकल संलग्न पेश है।

2–यह है कि उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता बोदूराम की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। उनके फोत होने बाद जब वादी के हक में फौतगी नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जिसमें वादी का बोलता नाम पारसमल दर्ज कर दिया । जो महज एक भूल है।

3–यह है कि वादी का वास्तविक नाम रामनिवास है। मगर उक्त खसरान की भूमि का नामान्तकरण जब वादी के हक में दर्ज किया गया उस समय वादी का नाम भूलवंश पारसमल दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का वास्तविक नाम रामनिवास है। तथा वादी के अन्य दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पेन कार्ड वर्गरहा में वादी का नाम रामनिवास ही दर्ज है। तथा गांव में भी वादी को रामनिवास के नाम से जाना व पहचाना जाता है। जिससे उक्त खसरान की खातेदारी में वादी का नाम पारसमल के स्थान पर रामनिवास दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

4–यह है कि वाद का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पारसमल दर्ज होने से वादी समस्त योजनाओ का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है। तथा वादी उक्त खसरान की जमीन पर वी किसी वित्तीय संस्था से ऋण भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जिससे वादी को उक्त रेकार्ड में नाम सही कराने बाबत यह वाद पेश है।

5–यह है कि वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त नाम रेकर्ड में सही अंकित करने बाबत कई बार निवेदन किया,मगर प्रतिवादीगण वादी को आश्वासन देते रहे और अंत में प्रतिवादीगण ने सक्षम न्यायालय में वाद पेश करके वादी अपन नाम सही करवाकर रेकर्ड दुरूस्ती करवाकने को कहा। जिससे वादी यह वाद पेश कर रहा है।

6–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

ए.यह है कि मोड़ीकलां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 134 रकबा 4.0500 हैक्टर व खसरा नंबर 135 रकबा 1.3000 हैक्टर कुल रकबा 5.3500 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा का रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम पारसमल के स्थान पर रामनिवास दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

रामनिवास बनाम तहसीलदार

मु.सं.. 299/2023

वकील वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण से इस बाबत जांच रिपोर्ट
ाई गई। प्रतिवादीगण ने बाद जांच अपनी जाचं रिपोर्ट पेश की गई। प्रतिवादी तहसीलदार ने
नी रिपोर्ट मे बतया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है।
वादी का नाम विरासत नामान्तकरण के द्वारा खाातेदारी में दर्ज हुआ है। पारसमल पुत्र बोदूराम
वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र बोदूराम है। दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिए पारसमल
त्र बोदूराम जाति खाती के स्थान पर रामनिवास पुत्र बोदूराम जाति खाती किया जाना उचित है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षय
स्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की जांच रिपोट पर मनन किया गया। समस्त
विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय की डिकी दी जाती है कि :–
मोड़ीकलां की सरहद में स्थित खसरा नंबर 134 रकबा 4.0500 हैक्टर व खसरा नंबर 135 रकबा
1.3000 हैक्टर कुल रकबा 5.3500 हैक्टर में सें 1/4 हिस्सा की भूमि में वादी का नाम पारसमल पुत्र
बोदूराम जाति खाती के स्थान पर रामनिवास पुत्र बोदूराम जाति खाती शुद्व किया जाता है।''

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्वि की जाकर राजस्व रेकर्ड को
दुरुस्त किया जावें। राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी
हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....30/8/24........को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर